

08.3.22 पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी

ने निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र को
झागे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए
नोट प्रेश के आधारे पर इस प्रार्थना पत्र
को खारिज करने का निवेदन किया।
निवेदन स्वीकार करते हुए यह प्रार्थना
पत्र इसी स्तर पर नोट प्रेश के आधारे
पर खारिज किया जाता है पूर्व में जारी
अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06-11-2020
खारिज की जाती है। पत्रावली इसी
के साथ निर्णीत होकर नम्बर से कम
होए।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उम्ह ५०० रु में
ना डिपॉजिट के
आधार पर जाये
कलाना-बाहना
ए
खुशगण सिंह
Talekh
[Signature]